न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री हुक्मीचन्द रोहलानिया, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 189/2022 GCMS 2022/377

वादीया :–

1. मैनादेवी जांगिड़ पत्नि लालचन्द जाति जांगिड़ निवासी 22 अक्षर पार्क सोसायटी होली चाईल्ड स्कूल के सामनें, कलोल तालुका कलोल जिला गांधीनगर गुजरात

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. किस्तुरीदेवी पत्नि धन्नाराम जाति जाट निवासी जसराणा तहसील कुचामनसिटी
2. गुमानाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी जसराणा तहसील कुचामनसिटी
3. भींवाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी जसराणा तहसील कुचामनसिटी
4. पूर्णीदेवी पत्नि बन्नाराम जाति जाट निवासी जसराणा तहसील कचामनसिटी
5. धर्माराम पुत्र बन्नाराम नाबालिग जरिये संरक्षक कुदरती वली माता पूर्णीदेवी पत्नि बन्नाराम जाति जाट निवासी जसराणा तहसील कुचामनसिटी
6. मीरादेवी पत्नि नारायणराम जाट निवासी जसराणा तहसील कुचामनसिटी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी

दावा– बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 05/07/2024

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भू.अ./2024/1714 दिनॉक 03.07.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 26.06.2024 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में वादी के अधिवक्ता ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 13.06.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :–

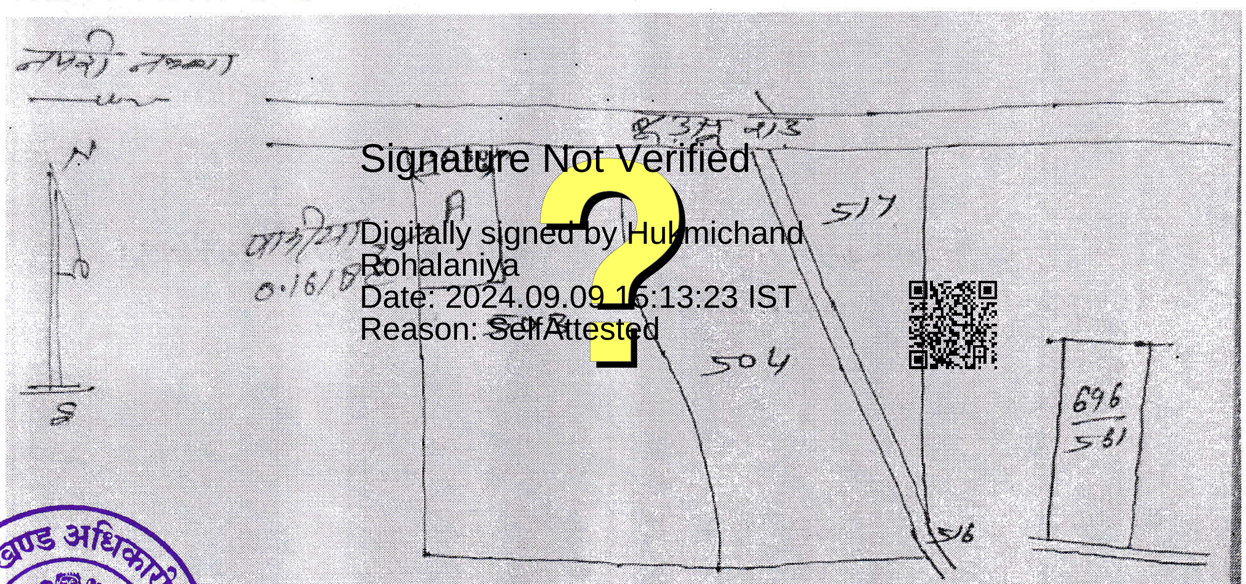

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:13:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान व पड़ौसियो ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होना बताया है, उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार ग्राम जसराना पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 503 रकबा 1.65 हैक्टर में नजरी नक्शा अनुसार 0.1618 हैक्टर पर वादीया मैनादेवी जांगिड़ पत्नि लालचंद खातेदार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर कब्जानुसार ही जोत विभाजन करवाना चाहते है। पक्षकारान का कब्जा काश्त नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। वादी अधिवक्ता की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम जसराना पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 503 रकबा 1.65 हैक्टर में नजरी नक्शा अनुसार 0.1618 हैक्टर पर वादीया मैनादेवी जांगिड़ पत्नि लालचंद को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खसरा नम्बर 504, 517, 696/561 एवं शेष खसरान में से वादीया मैनादेवी का नाम हटाया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 26.06.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 05/07/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हुक्मीचन्द रोहलानिया,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:13:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

बइजलास : हुक्मीचन्द रोहलानिया,(**R.A.S.**)

राजस्व वाद संख्या :– 189/2022 GCMS 2022/377

वादीया :–

1. मैनादेवी जांगिड़ पत्नि लालचन्द जाति जांगिड़ निवांसी 22 अक्षर पार्क सोसायटी होली चाईल्ड स्कूल के सामनें, कलोल तालुका कलोल जिला गांधीनगर गुजरात

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. किस्तुरीदेवी पत्नि धन्नाराम जाति जाट निवासी जसराणा तहसील कुचामनसिटी
2. गुमानाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी जसराणा तहसील कुचामनसिटी
3. भींवाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी जसराणा तहसील कुचामनसिटी
4. पूर्णीदेवी पत्नि बन्नाराम जाति जाट निवासी जसराणा तहसील कचामनसिटी
5. धर्माराम पुत्र बन्नाराम नाबालिग जरिये संरक्षक कुदरती वली माता पूर्णीदेवी पत्नि बन्नाराम जाति जाट निवासी जसराणा तहसील कुचामनसिटी
6. मीरादेवी पत्नि नारायणराम जाट निवासी जसराणा तहसील कुचामनसिटी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी

दावा– बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी............ मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदाय़लह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम जसरांना पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 503 रकबा 1.65 हैक्टर में नजरी नक्शा अनुसार 0.1618 हैक्टर पर वादीया मैनादेवी जांगिड़ पत्नि लालचंद को खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है शेष खसरा नम्बर 504, 517, 696/561 एवं शेष खसरान में से वादीया मैनादेवी का नाम हटाया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 26.06.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05 ....माह 07 .... सन् 2024 .... को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ● (...) कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 16:13:23 IST
Reason: SelfAttested

मुंदई	रुपयें	पैसे	[illegible]	रुपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प [illegible]		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टा[illegible]जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			ख[illegible]वाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना–कुचामन) राज.

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 151 दिनॉकः– 5/7/2024

प्रेषित :– 1. तहसीलदार, कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व वाद सं. 189 / 2022 **GCMS 2022/377** मैनादेवी बनाम किस्तुरीदेवी जसराणा वगैरह में पारित अंतिम डिक्री आदेश की पालना बाबत।

–x– x–x–x –

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 189 / 2022 **GCMS 2022/377** मैनादेवी बनाम किस्तुरीदेवी जसराणा वगैरह में पारित अंतिम डिक्री आदेश की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:13:23 IST
Reason: SelfAttested